(ANNEXURE-B)

प्रेषक,

सचिव

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद

रामनगर (नैनीताल)।

सेवा में,

रजिस्ट्रार

गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय

हरिद्वार

पत्रांक:– उ0वि0शि0प0 / मान्यता--20 / 9 / 1216-17 / 2007–08 दिनांक 18/02/2008

विषय– गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार द्वारा संचालित विद्याविनोद परीक्षा की समकक्षता के सम्बन्ध में ।

महोदय,

आपके पत्र दिनांक 15--02–2008 के द्वारा गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार द्वारा संचालित विद्याविनोद परीक्षा की समकक्षता के सन्दर्भ में पृच्छा की गई है ।

उपरोक्त सन्दर्भ में आपके द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उपरोक्त विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के एक्ट 1956 की धारा–3 के द्वारा नोटिफिकेशन न0 एफ 10–17 / 62 यू 2, दिनांक 19--6--1962 के द्वारा डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित है। उपरोक्त विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विद्याविनोद की परीक्षाऐं सार्वजनिक परीक्षा हैं। तथा यह परीक्षा यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित प्रथम डिग्री से पूर्व की सार्वजनिक परीक्षा है ।

विनियमों के भाग दो (ख) अध्याय 12 के विनियम पैरा 17 (7) (च) में दी गई द्वारा व्यवस्था के अनुसार भारत में विधिवत स्थापित विश्वविद्यालयों की प्रथम डिग्री से पूर्व की सार्वजनिक परीक्षा को उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद द्वारा संचालित इण्टर परीक्षा की समकक्षता प्राप्त है।

आपको सन्दर्भित विनियम की छाया प्रति भी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

संलग्नक:-- उक्तवत् ।

भवदीय,

18.2.08

अपर सचिव

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद

रामनगर (नैनीताल)।

पृष्ठांकन संख्या / उ0वि0शि0प / मान्यता--20 / 9 / / 2007–08 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि– निदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून को उनके पत्रांक / पाठ्य पुस्तक / 60236–37 / बोर्ड परीक्षा / 2007–08 दिनांक 15–2–2008 के कम में सूचनार्थ प्रेषित ।

Attested